

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) उमसावली, शिलांग
793 012 मेघालय, भारत

फ़ोन: 0364-2308829

वेब : www.nift.ac.in

संदर्भ: **11758/पुर/निफ्ट एसएचएल/बस सेवाएं/2024/03**

दिनांक:- 27.02.2024.

निफ्ट शिलांग में बस सेवाओं को किराए पर लेने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

अल्प सूचना निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारणी:

निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख/ Date of publication of tender notification	27 .02.2024
निविदा के ऑनलाइन सबमिशन के लिए प्रारंभिक तिथि/ Starting Date for Online Submission of Tender	27 .02.2024
निविदा के ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि/ Closing date for Online Submission of Tender	19.03.2024 2: 00 बजे
निविदाओं की तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय/ Date and time of the opening of Technical bid of tenders	20.03.2024 4:00 बजे
वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय/ Date and time of the opening of Financial bid	<u>तकनीकी रूप से अलग से योग्य बोली लगाने वाले</u>

खोलने की तारीख और वित्तीय बोली का समय: केवल शॉर्ट-लिस्टेड बिडरों को सूचित किया जाएगा।

निफ्ट शिलांग बस सेवाओं को किराए पर लेने के लिए पात्र बोलीदाताओं से सीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है।

निर्धारित निविदा दस्तावेज, विस्तृत शुल्क और विनिर्देश, बोली निर्देश और नियम और शर्तें सीपीपी पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) या संस्थान की वेबसाइट (<http://www.nift.ac.in/शिलांग>) से डाउनलोड की जा सकती हैं। हालांकि, बोली प्रक्रिया (प्रस्तुत करना और अंतिम रूप देना) केवल सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में की जाएगी। बोली लगाने वाला अपनी बोली केवल सीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> में अपलोड करके ही जमा कर सकते हैं।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूँ

बिड अनुदेश

प्रस्ताव को दो बोली - दो फाइलों/कवरों में केवल सीपीपी पोर्टल में अपलोड के माध्यम से, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिडरों को अपनी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बोलियां जमा करनी होंगी। कवर में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

1. कवर 1 जिसमें तकनीकी आवश्यकताएं और सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं।
2. कवर 2 जिसमें संदर्भ के लिए मूल्य बोली (बीओक्यू में) और पीडीएफ प्रारूप शामिल हैं।

ब्रीफ बैकग्राउंड

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग निम्नलिखित श्रेणियों के तहत अनुबंध पर बसों को किराए पर लेने का इरादा रखता है:

ग्रुप ए के लिए क्र.सं. (1): मासिक भुगतान के आधार पर नॉगथिम्माई छात्रावास के छात्रों के छात्रावास के साथ-साथ संस्थान आदि की आवश्यकता के अनुसार खानपान के लिए बस:-

संस्थान शुरू में मासिक आधार पर कम से कम 4 से 5 बसों को किराए पर लेना चाहता है। आवश्यक बसों की संख्या मांग के आधार पर भिन्न हो सकती है। **ग्रुप ए क्र.सं. 1** के तहत सफल बोली लगाने वाला (ओं) को **मासिक आधार पर बस सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध** से सम्मानित किया जाएगा।

ग्रुप बी के लिए: जब आवश्यक हो, छात्रों के लिए फील्ड विजिट, औद्योगिक विजिट, आदि के लिए मांग के आधार पर यात्राओं को पूरा करने के लिए बस: -

संस्थान को गुवाहाटी/आईएसबीटी में संस्थान और रेलवे स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार सिटी ट्रिप/टूर, इंटर-सिटी ट्रिप, इंटर-स्टेट ट्रिप/टूर, पिकअप और ड्रॉप टू गुवाहाटी/शिलांग हवाई अड्डे या किसी अन्य स्थान आदि जैसी आवाजाही के लिए बसों की भी आवश्यकता होती है। इस समूह के तहत सफल बोली लगाने वालाओं को **मांग के आधार पर और जब आवश्यक हो, नौकरियों के लिए बस सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त किया जा सकता है।**

उपरोक्त वर्णित बस सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभवी परिवहन सेवा प्रदाताओं/एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बसों में अच्छी सीट के साथ अच्छी रनिंग की स्थिति होनी चाहिए।

बिडर मौजूदा उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने वाले निम्नलिखित ब्रांडों/मॉडलों के वाहन (पेट्रोल/डीज़ल) प्रदान कर सकते हैं।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूं

ग्रुप ए - I के लिए 36 सीट बस (वाहन 80,000 किमी से अधिक नहीं होना चाहिए था)।

ग्रुप बी के लिए - II) 17 सीट, 26, सीट, 28 सीट, 30 सीट, 42-45 सीट। (वाहन 80,000 किमी से अधिक नहीं होना चाहिए था)।

अनुबंध की अवधि शुरू में निपट शिलांग द्वारा जारी अनुबंध के पुरस्कार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और समान नियमों और शर्तों के तहत अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक रूप से नवीनीकृत की जा सकती है या इस तरह के संशोधनों के साथ जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है, और निपट शिलांग के सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदन के अधीन भी हो सकता है। हालांकि अनुबंध का नवीनीकरण निपट शिलांग के सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर होगा।

बुनियादी आवश्यकताएं:

1. एजेंसी को भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार एमआईआई (मेक इन इंडिया) खंड का पालन करना चाहिए।
2. एजेंसी को अधिमानतः श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, और उसके पास वैध श्रम लाइसेंस होना चाहिए। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय में पंजीकृत एजेंसियां। (उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज का समर्थन करना)
3. आयोग ने सिफारिश की है कि लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों का चयन एजेंसी के पास परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में परिचालन के लिए आयकर खाता (पीएएन), जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य वैधानिक पंजीकरण होना चाहिए। (उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज का समर्थन करना)
4. अनुबंध/आपूर्ति कार्य के आवंटन से पहले वैध ट्रेडिंग लाइसेंस प्रस्तुत किया जाना है। खासी हिल्स ऑटोनोंमस जिला परिषद ने भारत के संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 10 के तहत उसे प्रदत्त शक्ति के आधार पर खासी हिल्स ऑटोनोंमस जिला (गैर-जनजातियों द्वारा व्यापार), विनियमन, 1954 (यथा संशोधित) खासी हिल्स के आदिवासी क्षेत्रों में गैर-जनजातियों द्वारा व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कानून बनाए।
5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा एजेंसी को सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को कम से कम 1 (एक) वर्ष के लिए परिवहन बस सेवा प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए, निविदा के प्रकाशन की तारीख से पिछले पांच वर्षों के भीतर (उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज)
6. एजेंसी के पास निम्नलिखित अनुमानों के साथ कम से कम 1 (एक) समान कार्यों के संतोषजनक पूर्णता प्रमाण पत्र या वैध कार्य आदेश / अनुबंध होने चाहिए: (ए) 2020-21 से शुरू होने वाले समूह ए के लिए 7 लाख प्रति वर्ष, 2021-22, 2022-23 (कोई एक वर्ष)।
7. एजेंसी को पिछले 5 (पांच) वर्षों में किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए था। (निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उपक्रम)
8. एजेंसी के खिलाफ कोई सतर्कता/सीबीआई मामला लंबित नहीं होना चाहिए। (निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उपक्रम)

उपरोक्त बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियां निविदाएं प्रस्तुत कर सकती हैं। निर्धारित निविदा दस्तावेज, विस्तृत आवश्यकताएं, बोली निर्देश और नियम और शर्तें सीपीपी पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती हैं।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूँ

बोलीदाताओं के लिए निर्देश:

1. बस को किराए पर लेने के लिए निविदा दो बोली प्रणाली में होगी। निविदा में एक तकनीकी बोली (तकनीकी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, समान सेवा का अनुभव, उन संगठनों की सूची जहां ऐसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं / प्रदान की गई हैं, सेवा आदेश, प्रशंसापत्र / प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों के साथ प्रमाणित हैं) और एक वित्तीय बोली (प्रासंगिक करों के साथ सेवाओं के लिए शुल्क का विवरण दिखाते हुए) शामिल होंगे।
2. बिडरों को ऊपर के रूप में दोनों समूहों के लिए उद्धृत करना होगा। बोलियों का मूल्यांकन ऊपर उल्लिखित अनुसार किया जाएगा।

कुछ शर्तों के साथ काम का दायरा

1. केवल निरीक्षण और अनुमोदित वाहनों को नियमित आधार पर सेवा के लिए भेजा जाएगा। प्रतिस्थापन/स्टैंडबाय के रूप में भेजे गए वाहनों का भी निरीक्षण और अनुमोदन किया जाएगा। संस्थान के पास अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय सभी / किसी भी वाहन का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. केएम की किसी भी वृद्धि के मामले में केएम का समायोजन अगले महीने में तय (मासिक) केएम से परे किया जाएगा, यदि कोई हो।
3. **बीमा** : आयोग ने सिफारिश की है कि लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों का चयन बीमा: प्रदान किए गए वाहनों को पूरी तरह से और व्यापक रूप से चालक और सभी यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा किया जाना चाहिए।
4. वाहन (ओं) को सेवा आदेश जारी करने की तारीख से आवश्यकता के अनुसार आवश्यक है। अनुबंध वाहनों का उपयोग संस्थान के अधिकारियों द्वारा और केवल संस्थान के कार्यों के लिए किया जाएगा।
5. **तदनुसार, वाहनों के चालकों को एजेंसी द्वारा ईंधन और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए उद्धृत करना चाहिए।**
6. किराये की बसों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। भुगतान संस्थान के संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूरी की गई संतोषजनक यात्रा की सिफारिश/प्रमाणन के आधार पर जारी किया जाएगा।
7. लॉग बुक विक्रेता द्वारा प्रदान की जानी है, जिसे सेवा प्रदाता द्वारा प्रोफार्मा के अनुसार बनाए रखा जाना है और जिसे संस्थान द्वारा सत्यापित किया जाना है। उक्त लॉग बुक के गुम होने की स्थिति में, भुगतान के संबंध में संस्थान परिवहन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
8. संस्थान अनुबंध का संचालन करेगा, आंदोलनों की निगरानी करेगा और संस्थान का निर्णय और निर्देश ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
9. ड्यूटी पर रहते हुए ड्राइवर को उसके पास उचित और अद्यतन रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र (जैसे आरसी, वैध बीमा, नियंत्रण प्रमाणपत्र के तहत प्रदूषण आदि) वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। निफ्ट शिलांग किसी भी तरह से उपरोक्त के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. नियमों, विनियमों, दुर्घटना या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दावों के भुगतान सहित सभी कार्यों के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे सभी व्यय जो उपरोक्त से उत्पन्न हो सकते हैं और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से वहन किए जाएंगे।
11. यदि वाहन रखरखाव / मरम्मत / ब्रेकडाउन के लिए वापस ले लिया जाता है, तो एक स्थानापन्न वाहन तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए।
12. जिस संस्थान को वाहन अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेगा, उसे किसी भी दिन वाहन वापस करने का अधिकार है यदि उसे लगता है कि यह यात्रा योग्य नहीं है और उस दिन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि परिवहन ठेकेदार एक दिन में उचित समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो दिन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. दिन की गणना आधी रात से आधी रात तक की जाएगी।
14. ठेकेदार के पास कम से कम एक सक्रिय फिक्स्ड / मोबाइल नंबर होना चाहिए जहां दिन में 24 घंटे के दौरान वाहनों की मांग की जा सकती है। बोली में टेलीफोन नंबर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हू

15. मोटर वाहन अधिनियम और आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत किराए के वाहन की दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली देयता पूरी तरह से ठेकेदार पर होगी और किराए पर लेने वाले प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कानून के प्रावधान के तहत इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। निफ्ट शिलांग की लापरवाही, उतावलेपन और त्वरित ड्राइविंग से उत्पन्न होने वाली कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता नहीं होगी, जो कि आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध है, और निफ्ट शिलांग को हुए किसी भी नुकसान की ठेकेदार द्वारा उपयुक्त रूप से भरपाई करनी होगी।
16. ठेकेदार केवल योग्य, अनुभवी (न्यूनतम 03 वर्ष), लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों को किराए पर वाहन चलाने का काम सौंपेगा और यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी भी ग्रहण करेगा। ठेकेदार किसी भी ड्राइवर को तैनात नहीं करेगा जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
17. वाहनों और ड्राइवरों का संचालन और कार्य मोटर वाहन अधिनियम द्वारा शासित होगा और ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन दंड को आमंत्रित कर सकता है और इस तरह के दंड का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
18. परेशानी मुक्त ड्राइविंग के लिए वाहन में आवश्यक पुर्जों को बनाए रखा जाना चाहिए।
19. ठेकेदार को ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो निफ्ट शिलांग के निपटान में इतनी संख्या में वाहन रखेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं, हालांकि इस प्रकार मांगे गए वाहनों की संख्या वाहनों की संख्या से अधिक हो सकती है जो ठेकेदार को आम तौर पर निष्पादन के उद्देश्य से आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है।
20. वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत वाहनों को अधिमानतः एनआईएफटी शिलांग और करों आदि को आपूर्ति की जाएगी। ऐसे वाहनों पर देय ठेकेदार का दायित्व होगा। लुब्रिकेंट, मरम्मत, रखरखाव, कर, बीमा आदि की लागत ठेकेदार का दायित्व होगा।
21. निफ्ट शिलांग मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किए गए टोल कर, पार्किंग शुल्क और राज्य यात्री कर की प्रतिपूर्ति करेगा। इस उद्देश्य के लिए चालक को ठेकेदार से छोटी नकदी प्रदान की जानी चाहिए।
22. तैनात किए गए वाहनों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें सही रनिंग स्थिति में रखा जाना चाहिए।
23. नियमित प्रदूषण जांच की जानी चाहिए और अनुबंध के तहत तैनात प्रत्येक वाहन के लिए नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत वैध प्रदूषण बनाए रखा जाना चाहिए।
24. शिलांग शहरी समूह क्षेत्र के भीतर यात्रा को स्थानीय यात्रा के रूप में माना जाएगा।
25. वाहनों के चालकों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए एनआईएफटी शिलांग द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। ड्राइवरों के मोबाइल नंबर मुख्य द्वार पर होंगे।
26. ब्रेकडाउन / सर्विसिंग / मरम्मत के मामले में, ठेकेदार उसी मेक और मॉडल या उच्च का एक वैकल्पिक वाहन प्रदान करेगा, जिसमें विफल होने पर ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य स्रोत / स्रोतों से वाहन किराए पर लिया जाएगा।
27. रखरखाव लागत, ईंधन के शुल्क (पेट्रोल/डीजल), सड़क कर, परमिट शुल्क, यात्री कर, सीमा कर, चालान, ड्राइवर का ओवरटाइम और मोबाइल फोन शुल्क आदि। ठेकेदार की जिम्मेदारी है और ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। निफ्ट शिलांग का उपरोक्त पर कोई दायित्व नहीं होगा।
28. यदि वाहन अपेक्षित समय पर रिपोर्ट नहीं करता है या अच्छी स्थिति में या उचित दस्तावेजों के बिना नहीं पाया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है और वापस भेज दिया जा सकता है। इस प्रकार अस्वीकृत कार के कारण कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
29. यदि कुछ भी होता है, तो ठेकेदार पूरी तरह से दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा। संस्थान किसी भी परिस्थिति में किसी भी मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
30. सफल विक्रेता के साथ न्यायिक स्टाम्प पेपर में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, जिसके लिए आदेश देने के 30 दिनों के भीतर आदेश जारी किया जाता है।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हू

अतिरिक्त सेवाएं

ठेकेदार को इस अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भी कहा जा सकता है, जिसके लिए पारिश्रमिक पारस्परिक बातचीत द्वारा तय की जाने वाली दरों पर देय होगा। इस तरह की अतिरिक्त सेवाओं के लिए दरों पर एक समझौते के अभाव में, संस्थान प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और अतिरिक्त सेवाओं के लिए दरों का गैर-निपटान अनुबंध पर ऐसा करने या प्रदान करने से इनकार करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। कार्य की अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के लिए दरों के संबंध में संस्थान प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियां

1. **कर्मचारियों का प्रावधान:** ठेकेदार अपने खर्च पर, अनुबंध में विचार किए गए कार्य के सुरक्षित, प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए वैध लाइसेंस रखने वाले प्रशिक्षित ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण, उपकरण, उपकरण आदि प्रदान करेगा।
2. लगे ड्राइवरों को मेघालय और असम के प्रमुख मार्गों के बारे में व्यापक रूप से पता होना चाहिए।
3. आयोग ने सिफारिश की है कि लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों का चयन ठेकेदार इस अनुबंध के एक हिस्से के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के उचित और व्यवस्थित आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिनके चरित्र को पुलिस/सरकार द्वारा सत्यापित किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी वह मांग किए जाने पर, अपने किसी भी कर्मचारी के पुलिस सत्यापन के संबंध में कागजात प्रस्तुत करेगा।
4. सभी कर्मचारियों और वाहनों का बीमा ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
5. श्रमिकों और/या कर्मियों के लिए दायित्व: ठेकेदार संगत श्रम कानूनों या किसी अन्य अधिनियम के अनुपालन के लिए उस सीमा तक जिम्मेदार होगा जिस सीमा तक वे उसके प्रतिष्ठान/कामगार पर लागू होते हैं।

चयन मानदंड:

1. **तकनीकी बिड:** सीपीपी पोर्टल पर तकनीकी बिड में प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। निविदा पत्र में सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बिडरों को वित्तीय बोली के लिए पात्र माना जाएगा। पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। समिति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बोली लगाने वाले को पहले से घोषित किसी भी कमी दस्तावेज को जमा करने का अवसर प्रदान कर सकती है। हालांकि, समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए कोई नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. **वित्तीय बोली:** सभी निविदा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और निविदा खोलने की समिति की संतुष्टि के लिए सभी दस्तावेजों को संलग्न करने वाले बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल के माध्यम से वित्तीय बोली खोलने पर विचार किया जाएगा।

नियम और शर्तें

1. **प्रस्ताव का प्रभाव और वैधता:** निविदा खोलने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
2. **बयाना राशि:** 72,000 / - (रुपये सत्ताईस हजार मात्र), (वापसीयोग्य) निफ्ट, शिलांग के निम्नलिखित खाता विवरण में एनईएफटी के रूप में जमा किया जाना है और लेनदेन रसीद की एक प्रति के साथ भुगतान का प्रमाण / निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली राशि की आईडी: निफ्ट, सामान्य खाता) खाता संख्या 3850020500002 IFSC कोड UBIN0538507, बैंक का नाम यूनिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा पता GS रोड, शिलांग। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना किसी ब्याज के अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बिडर (ओं) की ईएमडी सुरक्षा जमा करने पर जारी की जाएगी या सुरक्षा जमा के साथ समायोजित की जा सकती है।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूँ

एमएसएमई/स्टार्टअप के तहत पंजीकृत फर्मों को ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी। छूट का दावा करने वाले सभी विक्रेताओं को अपने वैध एमएसएमई/स्टार्टअप पंजीकरण प्रमाण पत्र (तकनीकी बोली के साथ) की प्रतियां जमा करनी चाहिए। बयाना राशि या वैध प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. **सिक्वोरिटी डिपॉजिट:** आयोग ने सिफारिश की है कि लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों का चयन चयनित बिडर (ओं) को एनआईएफटी / आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट / बैंक गारंटी (अनुबंध- I में संलग्न प्रारूप में) द्वारा जमा के रूप में उद्धृत मूल्य का 5% सिक्वोरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, जिसे निफ्ट शिलांग, उमसावली, शिलांग को गिरवी रखा गया है और अनुबंध अवधि की तारीख से 12 (बारह) महीने तक वैध होगा:
4. यदि किसी भी स्तर पर ठेकेदार की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो संस्थान बिना कोई कारण/नोटिस दिए अनुबंध को रद्द करने की संभावना है और उसकी सुरक्षा जमा को बिना किसी मुकदमेबाजी के जब्त कर लिया जाएगा। समझौते की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, एजेंसी की सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: बोली लगाने वाला को **अनुबंध- II** में तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने चाहिए:

- i. फर्म लेटरहेड में स्व-घोषणा जिसमें कहा गया है कि एजेंसी को अतीत में किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (संगठनों) / स्वायत्त संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और कोई मामला किसी भी अनुबंध के खिलाफ लंबित नहीं है और यह भी बताने के लिए कि फर्म / एजेंसी के खिलाफ कोई सतर्कता / सीबीआई मामला लंबित नहीं है।
- ii. बिडर से एक प्रमाण पत्र कि निविदा के सभी नियम और शर्तों उसे स्वीकार्य हैं।
- iii. सरकारी/सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र या सेवा आदेश।
- iv. एक स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी के रूप में अपनी इकाई को प्रमाणित करने वाले प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की प्रति।
- v. ESI से प्रमाण पत्र और कर्मचारी भविष्य निधि ठेकेदार/एजेंसी के कर्मचारियों के लिए (यदि लागू हो)।
- vi. पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2021-22, 2020-21 या 2019-20 की आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां यदि 2022-23 तैयार नहीं हैं।
- vii. 2022-23, 2021-22, 2020-21 या 2019-20 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्रों की प्रतियां यदि 2022-23 तैयार नहीं हैं।
5. प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों को बिडर की मुहर के साथ स्व-सत्यापित होना चाहिए।
6. **अनुपालन प्रमाण पत्र की प्रस्तुति:** तकनीकी बोली के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाण पत्र (अनुबंध- IV में प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. बिडर को निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए और सभी संलग्नकों सहित बोली के सभी पृष्ठों को क्रमांकित किया जाना चाहिए और बोली लगाने वाला या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत भरा जाना चाहिए, हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जानी चाहिए। सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर के बिना प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।
8. सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं हैं: यहां उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का सभी बोली एजेंसियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सशर्त निविदाएं किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं की जाएंगी और सीधे अस्वीकार कर दी जाएंगी। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा बोलियों में उल्लिखित शर्तें एनआईएफटी शिलांग पर बाध्यकारी नहीं होंगी।
9. सब-कॉन्ट्रैक्टिंग की अनुमति नहीं है: सफल बोली लगाने वाला एनआईएफटी शिलांग के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी अन्य एजेंसी को कार्य को सबकॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर या असाइन नहीं करेगा। यदि ठेकेदार इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो एनआईएफटी शिलांग ठेकेदार की लागत और जोखिम पर कहीं और अनुबंध रखने का हकदार होगा और इस खाते पर वहन किए गए सभी खर्चों को उनसे वसूल किया जाएगा।

10. टीडीएस @ 2% जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के तहत संस्थान द्वारा काटा जाएगा, जब आपकी सेवा का मूल्य रुपये से अधिक है। 2.5 लाख "एनआईएफटी शिलांग की जीएसटी संख्या संदर्भ के लिए ""17AAATN2067J1ZH"" है।"

11. किसी भी सरकार का भुगतान वाहनों को चलाने के लिए कर या शुल्क ठेकेदार का दायित्व होगा।

12. दंड:

- i. ब्रेकडाउन के मामले में, वाहनों को उसी मेक या उससे अधिक के अन्य वाहनों से तुरंत या एक घंटे से अधिक देर से अच्छी स्थिति में बदलना होगा। उपयुक्त वाहन की अनुपलब्धता के मामले में प्रति दिन 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- ii. यदि ब्रेकडाउन की संख्या महीने में तीन बार से अधिक हो जाती है, तो पहले महीने के लिए प्रति ब्रेकडाउन 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वाहन अगले महीने में दो बार या अधिक बार टूट जाता है, तो वाहन को तुरंत बदल दिया जाएगा, इसके अलावा INR 10,000 / - (केवल दस हजार रुपये) प्रति ब्रेकडाउन की जुर्माना राशि का भुगतान किया जाएगा।
- iii. यदि ठेकेदार को अनुबंध से सम्मानित किया गया है, तो वह अपेक्षित संख्या में वाहनों की आपूर्ति करने में विफल रहता है, इस कार्यालय के पास ठेकेदार के जोखिम और लागत पर अन्य स्रोतों से वाहनों को किराए पर लेने का अधिकार सुरक्षित है।

निफ्ट शिलांग के पास असंतोषजनक सेवाओं के लिए दंड लगाने का अधिकार भी सुरक्षित है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, जिसमें शामिल हो सकते हैं:

- क. सेवा की खराब गुणवत्ता जैसे कि विलंबित आगमन / प्रस्थान / नामित स्थान से।
- ख. सेवा उपयोगकर्ताओं के साथ ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार।
- ग. किसी भी दिन वाहनों की अनुसूची / अनुपलब्धता में व्यवधान।
- घ. एनआईएफटी शिलांग द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए काम करना।
- ङ. खराब या वाहनों की गुणवत्ता (आंतरिक और बाहरी दोनों)।

ऐसे मामलों में, पहले उल्लंघन के लिए प्रति वाहन प्रति दिन 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरे और तीसरे उल्लंघन के लिए प्रति वाहन प्रति दिन 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) लगाया जाएगा। इसके अलावा उल्लंघनों पर संस्थान के अधिकारियों द्वारा अनुबंध की समीक्षा की जाएगी और इससे अनुबंध की समाप्ति भी हो सकती है।

13. मूल्यांकन के तरीके:- केवल निविदा पत्र की सभी बुनियादी आवश्यकताओं (तकनीकी मानदंडों में उल्लिखित) को पूरा करने वाली एजेंसियों को वित्तीय बोली के लिए पात्र माना जाएगा।

14. भुगतान:

किराए की परिवहन सेवा के लिए भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा।

ठेकेदार को समूह-ए और समूह-बी के अनुसार सहमत दरों की अनुमोदित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। सहमत दरें दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगी और अनुबंध की मुद्रा के दौरान दरों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी कटौती के अधीन, जिसे एनआईएफटी शिलांग अनुबंध की शर्तों के तहत करने का हकदार हो सकता है, ठेकेदार निम्नानुसार भुगतान का हकदार होगा:

क. ठेकेदार एक सारांश शीट के साथ अगले महीने के 10 दिनों के भीतर मासिक बिल तैयार करेगा और जमा करेगा। इसकी विफलता को नियम और शर्तों (असंतोषजनक सेवा) का उल्लंघन माना जाएगा, अर्थात् 'एनआईएफटी शिलांग द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन करते हुए काम करना और असंतोषजनक सेवाओं के निम्नलिखित खंड में वर्णित दंड लगाया जाएगा'।

ख. संस्थान दावे की शुद्धता की आवश्यक जांच करेगा।

ग. निर्धारित दर पर देय सभी शुल्कों की कटौती के बाद, दावा की गई राशि के भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

घ. बिल का भुगतान आमतौर पर प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। हालांकि, कोई भी देरी न तो ठेकेदार को ब्याज का दावा करने और न ही अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार देगी।

ठेकेदार को कम भुगतान के संबंध में कोई दावा वैध नहीं माना जाएगा या तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल दावे का भुगतान करने की तारीख से तीन महीने के भीतर लिखित में दावा नहीं किया जाता है। निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे कम भुगतान के लिए प्राप्त कोई भी दावा एनआईएफटी शिलांग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता

हूँ

सभी भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। सफल ठेकेदार/एजेंसी को स्पष्ट और पूर्ण बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है ताकि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान सुचारू रूप से किया जा सके।

निफ्ट शिलांग (निफ्ट) को किसी भी ओवरपेमेंट की वसूली करने का अधिकार होगा जो निफ्ट द्वारा बिलों और सुरक्षा जमा या उसके कारण किसी अन्य राशि से अनजाने में त्रुटि या किसी अन्य कारण से ठेकेदार को किया गया हो सकता है। सुरक्षा जमा से ऐसी किसी भी वसूली/समायोजन की स्थिति में, ठेकेदार इस आशय के भुगतान के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा की राशि में कमी को तुरंत पूरा करेगा, ऐसा न करने पर एनआईएफटी भविष्य के बिलों से उक्त राशि में कटौती करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दैनिक लॉग बुक को बनाए रखा जाना चाहिए और संस्थान के संबंधित अधिकृत कर्मचारियों द्वारा काउंटर हस्ताक्षरित होना चाहिए, और सभी संबंधितों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लॉग बुक की प्रति मासिक बिल के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

15. **यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है या कानून की अदालत में दोषी ठहराया जाता है, तो समझौते को समाप्त करने का अधिकार:** यदि किसी भी समय, ठेकेदार दिवालिया हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या उसके किसी भी लेनदार के लिए अदालत में उसे दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दायर करता है या, यदि उसे किसी भी न्यायालय में दोषी ठहराया जाता है, तो निफ्ट शिलांग के पास अनुबंध को समाप्त करने का पूर्ण विकल्प होगा और ठेकेदार को इस खाते में क्षति या मुआवजे का कोई अधिकार नहीं होगा।
16. **एजिट क्लॉज:** निदेशक, निफ्ट शिलांग को लिखित रूप में एजेंसी को एक महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्ति की नियत तारीख से पहले किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है। निदेशक, निफ्ट शिलांग को भी एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए या एक छोटी अवधि के लिए उसी नियम और शर्तों पर लिखित रूप में अनुबंध का विस्तार करने का अधिकार होगा, जब तक कि एक नई एजेंसी संस्थान द्वारा किसी नई एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया का सहारा लेने की स्थिति में ऐसा समय नहीं हो जाता। हालांकि, इन परिस्थितियों में अनुबंध अवधि के बाद भी अनुबंध की अंतिम तिथि पर प्रचलित दरों पर काम करना जारी रखना बोली लगाने वाला की ओर से अनिवार्य होगा।
अनुबंध की पूर्व समाप्ति की इच्छा रखने वाली एजेंसी की स्थिति में, उन्हें संस्थान प्राधिकरण को तीन महीने की अग्रिम सूचना देनी होगी।
17. **नोटिस आदि.:** उसके अलावा, निफ्ट शिलांग के लिए और उसकी ओर से जारी किए जाने वाले सभी नोटिस और की जाने वाली कार्रवाई निफ्ट शिलांग की ओर से प्रभारी, परिवहन, एनआईएफटी शिलांग द्वारा जारी या की जाएगी। ठेकेदार अपने अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का नाम, पदनाम और पता प्रस्तुत करेगा, और सभी शिकायतों, नोटिस, संचार और संदर्भों को ठेकेदार को विधिवत तामील किया गया माना जाएगा, यदि उसे या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को वितरित किया गया हो या इस प्रकार दिए गए पते पर छोड़ दिया गया हो या पोस्ट किया गया हो। यह उस दिन पोस्ट करने के मामले में दिया गया माना जाएगा जिस दिन वे डाक के सामान्य कवर में या जिस दिन उन्हें वितरित या छोड़ दिया गया था, उस दिन इस तरह के पते पर पहुंच गए होंगे।
18. **मूल्यांकन के दौरान पूछताछ की अनुमति नहीं है:** निविदा के मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वाला (ओं) से किसी भी जांच पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम निर्णय सफल बोली लगाने वाला (ओं) को सूचित नहीं किया जाता है। हालांकि, संस्थान प्राधिकरण बिडरों से पूछताछ कर सकते हैं / स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ऐसे मामले में, बोली लगाने वाला को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।
19. **बोली हस्तांतरणीय नहीं है:** बोली दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं और फर्म के व्यक्तिगत/अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर सभी पृष्ठों और प्रस्तुत लिफाफों पर दिखाई देने चाहिए।
20. बोली प्रस्तुत करने की तारीख से पहले किसी भी समय, निफ्ट शिलांग, किसी भी कारण से, अपने स्वयं के या संभावित बोली लगाने वाला से स्पष्टीकरण के जवाब में, एक संशोधन / शुद्धिपत्र द्वारा बोली दस्तावेजों को संशोधित कर सकता है। ऐसे किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र को केवल सीपीपी पोर्टल के माध्यम से विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट की नियमित रूप से जांच करें। बोली तैयार करने में संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, निफ्ट शिलांग बोली जमा करने की तारीख और समय बढ़ा सकता है।
21. निविदा की स्वीकृति पूरी तरह से निदेशक, निफ्ट शिलांग के पास होगी, जो संस्थान के हित में, सबसे कम कोटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूँ

22. अप्रत्याशित घटना:

यदि इसके बाद उल्लिखित किसी भी घटना द्वारा किसी भी पार्टी के दायित्व का प्रदर्शन व्यावसायिक रूप से असंभव हो जाता है, तो उस पार्टी को लिखित रूप में ऐसी घटना की तारीख से 15 दिनों की सूचना देने के बाद आदेश के तहत समझौते का पालन करने का कोई दायित्व नहीं होगा। अन्य पार्टी, और निर्दिष्ट घटनाएं इस प्रकार हैं:

- i. भारत सरकार का कोई भी कानून, कानून या अध्यादेश, आदेश कार्रवाई या विनियम,
- ii. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, और
- iii. स्ट्राइक, सार्वजनिक दुश्मन के कार्य, युद्ध, विद्रोह, दंगे, लॉकआउट, तोड़फोड़।

23. चूक के लिए समाप्ति: कहा जाता है कि चूक हुई है

क. यदि एजेंसी अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी या सभी सेवाओं को करने में विफल रहती है।

ख. उपरोक्त परिस्थितियों में एनआईएफटी शिलांग अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और सुरक्षा जमा को जब्त कर सकता है। उपरोक्त के अलावा, निफ्ट अपने विवेक से निम्नलिखित कार्रवाई भी कर सकता है: निफ्ट शिलांग किसी अन्य योग्य ठेकेदार/एजेंसी के साथ इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और चूककर्ता ठेकेदार/एजेंसी प्राप्त सेवाओं के लिए शामिल किसी भी अतिरिक्त व्यय के लिए एनआईएफटी शिलांग को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी।

24. लागू कानून:

- i. अनुबंध सरकार द्वारा स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा। भारत का और केवल शिलांग में सक्षम न्यायालय और फोरम के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन।
- ii. इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निदेशक एनआईएफटी शिलांग को भेजा जाएगा, और यदि कोई भी पक्ष इस निर्णय से असंतुष्ट है, तो विवाद को एक मध्यस्थ के निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए, संस्थान के निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

25. किसी भी बिंदु पर आवश्यक इन नियमों और शर्तों के किसी भी प्रावधान के अर्थ या इरादे या व्याख्या के संबंध में कोई स्पष्टीकरण निफ्ट शिलांग से मांगा जाएगा, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा। अनुबंध के लिए प्रासंगिक लेकिन कवर नहीं किए गए किसी भी अन्य मामले का भी निर्णय निदेशक, निफ्ट शिलांग को संदर्भित करके किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

संलग्नक:

1. अनुबंध - I: निष्पादन बैंक गारंटी

2. अनुबंध - II: तकनीकी बोली

3. आयोग ने सिफारिश की है कि लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों का चयन अनुबंध - III (बी): वित्तीय बिड (समूह - ए और समूह बी के लिए दरों की अनुसूची) केवल ए और पीडीएफ के लिए बी के लिए बीओक्यू प्रारूप में ही लागू की जाएगी जब भी आवश्यक हो।

मुहर एवं हस्ताक्षर

दिनांक

मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूं

अनुबंध - I

कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी

सेवा में,
निदेशक
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान उमसावली मावपत, शिलांग-793 003 मेघालय

जबकि

(एजेंसी / सेवा प्रदाता का नाम)

जिसे इसके बाद 'सेवा प्रदाता' कहा जाता है, अनुबंध संख्या के अनुसरण में किया गया है
दिनांकित,.....20...प्रदान करने के लिए (का
विवरण सेवाएं

"इसके बाद ""आदेश"" कहा जाएगा।"

और उक्त आदेश में आपके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सेवा प्रदाता आपको आदेश के अनुसार सेवा प्रदाता के प्रदर्शन दायित्वों के
अनुपालन के लिए सुरक्षा के रूप में निर्दिष्ट राशि के लिए किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

और जबकि हम सेवा प्रदाता को एक गारंटी देने के लिए सहमत हुए हैं: इससे पहले कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम सेवा प्रदाता की
ओर से, कुल गारंटी (गारंटी की राशि) तक गारंटर और आपके लिए जिम्मेदार हैं।
शब्द और चित्र) और हम आपको भुगतान करने का वचन देते हैं, आपकी पहली लिखित मांग पर, सेवा प्रदाता को आदेश के तहत डिफॉल्ट
रूप से घोषित करने और बिना किसी संदेह या तर्क के, उपरोक्त के रूप में सीमा के भीतर किसी भी राशि या राशि का भुगतान करने का
वचन देते हैं, बिना

आपकी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आपकी जरूरत।

यह गारंटी20..... के दिन तक वैध है।

गारंटरी के हस्ताक्षर और मुहर

... ..
... ..
... ..

दिनांक20....

पता:

... ..

इस गारंटी के संदर्भ में सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर किए जाएंगे: निदेशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान मावपत,
उमसावली, शिलांग-793012 मेघालय

मुहर और हस्ताक्षर की तारीख
मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूँ

अनुबंध - II तकनीकी बोली
[राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए]

क)	अनुबंध/आपूर्ति कार्य के आवंटन से पहले मूल्य आईडी ट्रेडिंग लाइसेंस प्रस्तुत किया जाना है। खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भारत के संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 10 के तहत उसे प्रदत्त शक्ति के आधार पर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट (गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार), विनियमन, 1954 (यथा संशोधित) गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार खासी हिल्स के आदिवासी क्षेत्र को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए कानून बनाए।। शर्तें स्वीकार्य-हाँ / नहीं	हां/नहीं
ख)	अनुभव में किराया वाहन कार्रवाई ग्राहकों की संख्या जिन्हें सेवा प्रदान की जा रही है (कृपया प्रमाणपत्र का स्वीकार्य संलग्न करें)	वर्ष संख्या
ग)	बोलीदाताओं ने अनुबंध -III समूह ए एवं समूह बी के लिए उद्धरण दिया है	हां/नहीं
घ)	एक स्वामित्व/ साझेदारी/कम्पनी के रूप में अपनी इकाई को प्रमाणित करने वाले प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेज़ की प्रतिलिपि	हां/नहीं
ङ)	एजेंसी के स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या	हां/नहीं
च)	ई.एस.आई. एवं वही ई.पी.एफ. के लिए कर्मचारियों के लिए कंपनी/एफआईएम, यदि लागू हो उपयुक्त	हां/नहीं
छ)	जीएसटी और पैन कार्ड की प्रतियां संलग्न हैं	हां/नहीं
ज)	ईएमडी प्रस्तुत / उचित खाता होना सौदा ब्यौरा संलग्न। छूट यदि कोई हो प्रस्तुत की जाएं	हां/नहीं
झ)	पिछले 3 (तेन) वर्षों में से किसी एक आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां? यदि 2022-23 तैयार नहीं हो तो 2022-23, 2021-22, 2020-21 या 2019-20	हां/नहीं
ञ)	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्रों की प्रतियां 2022-23, 2021-22, 2020-21 या 2019-20 यदि 2022-23 तैयार नहीं हैं (योग्यता के लिए निविदा शर्तों को देखें)	हां/नहीं
ट)	बोली लगाने वाले का नाम और पता.....	
ठ)	
ड)	टेलीफोन नंबर.....मोबाइल नंबर.....ईमेल	
ढ)	मुख्य संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम:.....	
	
	टेलीफोन नंबर.....मोबाइल नंबर.....ईमेल	
मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गए जानकारी सत्य है और संलग्न संबंधित प्रमाणपत्र वैध हैं।		

मुहर और हस्ताक्षर की तारीख
मैं उपरोक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूं

अनुलग्नक -IIIIII वित्तीय बोली “बीओक्यू” मूल्य केवल ऑनलाइन उद्धृत किया जाएगा
[राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग स्तर पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु
समूह-ए (डाइवर और ईंधन सहित) के लिए दरों की अनुसूची शुल्क बस मासिक किराए के आधार पर

क्र.सं.	वहां समावेश कर के प्रकार	किमी विवरण	राशि (₹)
1	36 सीट वाली बस 12 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी (वाहन 80,000 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए)	प्रति माह 1200 किमी (प्रतिमाह शुल्क रूप में) समावेश कर कुल (रूप में)	

नोट: कवर 2 जिसमें मूल्य बोली (बीओक्यू में) और मूल्य के लिए पीडीएफ प्रारूप शामिल है

नोट (एल 10 उपरोक्त एस1 1 के लिए अनुलगनक-III समूह-ए पर किया जाएगा, केवल मासिक किमी पर शुल्क एकल आइटम पर उद्धृत करना और अनुलगनक- III समूह ए और बी के साथ पूर्ण उद्धरण नहीं देने पर ऐसे बोली लगाने वाले के टेंडर ईंधन और ड्राईवर के साथ कॉल के आधार पर वहां किराए पर लेने के लिए उद्धरण-जब भी और आवश्यक हो

क्र.सं	वहां समावेश कर के प्रकार	किमी विवरण	राशि (रु)
1	36 सीट वाली बस (वाहन 80,000 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए)	प्रति किमी दर डॉ अधिक 1200 किमी (रु.) सम्मिलित कर.	
	36 सीट वाली बस (वाहन 80,000 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए)	प्रति घंटा 12 घंटे से अधिक प्रति घंटे की दर (रु.) कर सहित	

क्र.सं	बैठने की क्षमता वाले वाहन के प्रकार	एमटीसी मौजूद दर	बोलीदाता के द्वारा मूल्य का प्रवेश
1	'ए' 17 सीट वाली क्षमता बस	44.00 प्रति किमी	
	क) 10 घंटे के लिए 58 किमी के दायरे में	5104.00	
	ख) राशि विश्राम शुल्क, यदि कोई हो	4000.00	
	ग) 4 घनते के लिए 35 किमी के भीतर	3080.00	
	घ) शिलांग में पिकिंग और ड्रॉपिंग चार्ज		
	नगरपालिका क्षेत्र	440.00	
	नगरपालिका क्षेत्र के बाहर	880.00	
	शिलांग से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए शिल्क या वापस (दोनों तरफ के लिए दर)		
3.	'बी' 26 सीट क्षमता वाली बस	47.00	
	क) 10 घंटे के लिए 58 किमी के दायरे में	5452.00	
	ख) राशि विश्राम शुल्क, यदि कोई हो	5000.00	
	ग) 4 घंटे के लिए 35 किमी के भीतर	360.00 प्रति घंटा	
	ड) शिलांग में पिकिंग और ड्रॉपिंग चार्ज		
	नगरपालिका क्षेत्र	470.00	
	शिलांग से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए शिल्क या वापस (दोनों तरफ के लिए दर) बाहर		
	नगरपालिका क्षेत्र के बाहर	940.00	
4.	'सी' 28 सीट क्षमता वाली बस	48.00	
	क) 10 घंटे के लिए 58 किमी के दायरे में	5568.00	
	ख) राशि विश्राम शुल्क, यदि कोई हो	5000.00	
	ग) 4 घंटे के लिए 35 किमी के भीतर	3360.00	
	घ) शिलांग में पिकिंग और ड्रॉपिंग चार्ज		
	नगरपालिका क्षेत्र	480.00	
	नगरपालिका क्षेत्र के बाहर	960.00	
	शिलांग से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए शिल्क या वापस (दोनों तरफ के लिए दर) बाहर		
5.	'डी' 30 सीट क्षमता से अधिक डीलक्स बस	56.00	
	क) 10 घंटे के लिए 58 किमी के दायरे में	6496.00	
	ख) राशि विश्राम शुल्क, यदि कोई हो	5500.00	
	ग) 4 घंटे के लिए 35 किमी के भीतर	3920.00	
	घ) शिलांग में पिकिंग और ड्रॉपिंग चार्ज		
	नगरपालिका क्षेत्र	550.00	
	नगरपालिका क्षेत्र के बाहर	1100.00	
	शिलांग से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए शिल्क या वापस (

	दोनों तरफ के लिए दर) बाहर		
6.	'ई' 42-45 सीट क्षमता वाली डीलक्स बस	56.00	
	ड) 10 घंटे के लिए 58 किमी के दायरे में	6496.00	
	च) राशि विश्राम शुल्क, यदि कोई हो	5500.00	
	छ) 4 घंटे के लिए 35 किमी के भीतर	3920.00	
	ज) शिलांग में पिकिंग और ड्रॉपिंग चार्ज		
	नगरपालिका क्षेत्र	550.00	
	नगरपालिका क्षेत्र के बाहर	1100.00	
	शिलांग से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए शिल्क या वापस (दोनों तरफ के लिए दर) बाहर		
निफ्ट को आवश्यकता पड़ने पर समूह-बी के लिए बहरी एजेंसी से वाहन किराए पर लेने का अधिकार है			

नोट: किराये के आधार पर समूह-बी मूल्य (जब भी आवश्यक हो), योग्यता (एल 1) के लिए नहीं है।

- क) निफ्ट के पास अनुबंध अनुलग्नक-III समूह ए एवं बी निफ्ट शिलांग की आवश्यकता के अनुसार उल्लिखित वाहन का चयन करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ख) उपरोक्त दरों में ईंधन शुल्क, ड्राइवर, रोड टैक्स, रखरखाव, एसी सुविधा आदि शामिल होनी चाहिए।
- ग) यात्रा के दौरान वाहन में ईंधन पहले से ही पर्याप्त मात्रा में भर लेना चाहिए। यात्री को कोई ईंधन शुल्क नहीं देना होगा।
- घ) निफ्ट की आवश्यकता के अनुसार बसों की संख्या बढ़ या घट सकती हैं। भुगतान वास्तविक रूप में किया जाएगा।
- ड) बीओक्यू (मूल्य बोली केवल ऑनलाइन लागू की जाएगी), ऐसे बोलीदाता की बोली संक्षेप में होगी

मैं/हम आपकी उपरोक्त उद्धृत निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

(अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर) नाम
पदनाम कम्पनी मुहर

मैं नियम स्वीकार करता हूं, निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नोट:

- क) उपरोक्त दरों में ईंधन शुल्क, ड्राइवर, रोड टैक्स, रखरखाव, एसी सुविधा आदि।
- ख) यात्रा के दौरान वाहन में ईंधन पहले से ही पर्याप्त मात्रा में भर लेना चाहिए। यात्रा को कोई ईंधन शुल्क नहीं देगा।
- ग) निफ्ट स्थानीय बाज़ार से सेवाएं लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं/हम आपकी उपरोक्त उद्धृत निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक:

स्थान:

मुहर एवं हस्ताक्षर
दिनांक
मैं उपरोक्त नियम एवं शर्तों स्वीकार करता हूं